FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लाला खां पुत्र मिठा खां 2. मोहमद खां पुत्र मिठा खां 3. अनवर खां पत्र मिठा खां 4. लाखू खां उर्फ लाखे खं पुत्र मिठा खां जाति मुसलमान निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. उका खां पुत्र जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा.....धारा 88, 92क, 188 रा.का.अ.

मु0नं0....64 / 21.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मैंजारी हुए
09.07.2021	वादीगण लाला खां वगैरा की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री रामजीवन विश्नोई द्वारा प्रतिवादीगण उका वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.08.2021 को पेश हो। (वीरमाराम) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	
20/8/21	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 27/9/21 को पेश हो ।	
15/09/21	वकील वादीगण के निवेदन पर पत्रावली आज सुनवाई हेतु ली गयी। वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण की बाबत आराजी के सम्बन्ध में हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा करवा दिया है जिसके तहत उक्त उनवान प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वादीगण के हको को सुरक्षित रखते हुए वादपत्र जरिये राजीनामा विड्राल [illegible] वादीगण रवाजिब फरमाया [illegible] प्रकरण के निवेदन [illegible] किया जरिये राजीनामा [illegible] जाता है। पत्रावली नि[illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:22:33 IST
Reason: SelfAttested